रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 2018/चैत्र 26, 1940
No. 135] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 2018/CHAITRA 26, 1940

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

**(वाणिज्य विभाग)**

**(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)**

## जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

## प्रकरण सं. एसएसआर-03/2018

**विषय :** तुर्की और रूस से सोडा एश के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत ।

**फा. सं. 7/4/2018-डीजीएडी.**— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने तुर्की और रूस (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 9 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 14/3/2011-डीजीएडी के द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 08/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क लगाया गया था।

2. और यत: प्राधिकारी ने नियम 23 के अधीन मध्यावधि समीक्षा की थी और प्राधिकारी ने दिनांक 22 जुलाई, 2017 के अंतिम जॉंच परिणाम द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया।

3. और यत: 22 जुलाई, 2017 के अंतिम जॉंच परिणामों को 2017 के विशेष सिविल आवेदन सं. 14203,14205 and 14207 of 2017 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने 31.07.2017 को अपने आदेश के माध्यम से मिड टर्म की समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष आदेश 22.07.2017 पर कार्रवाई से रोक लगाई ।

4. और यत: केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं 51/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 08/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) को रद्द कर दिया और यह बताया कि ऐसी छूट माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में 2017 का विशेष सिविल आवेदन सं. 14203,14205 and 14207 of 2017 के अंतिम आदेश के अधीन स्थगित रहेगी।

5. और यत:, यह याचिका अधिनियम और नियमावली के अनुसार मै. निरमा लि. और मै. डीसीडब्लू लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है, जिसमें तुर्की और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए सोडा एश के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे पांच वर्षों की अवधि तक लागू रखने का अनुरोध किया गया है।

6. और यत: घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका की जांच के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पंहुच है कि तुर्की और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जॉंच की शुरूआत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, दिनांक 5 अप्रैल 2018 का स्पीकिंग आदेश जारी किया गया जिसमें निर्णायक समीक्षा याचिका के संबंध में प्राधिकारी के निर्णय की सूचना दी गई।

7. और यत: उक्त स्पीकिंग आदेश के विरूद्ध घरेलू उद्योग ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की 5798 और 2018 की 5808 संख्या वाली सिविल आवेदन सं दायर कीं। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत हैं

*'इस याचिका को स्वीकार करने और अंतिम सुनवाई होने तक, माननीय न्यायालय प्रतिवादी सं 2 को 16.04.2018 को या उससे पहले नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के उपबंधों के अधीन निर्णायक समीक्षा जॉंच की शुरूआत करने का निदेश देता है और प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 18.04.2013 को सीमाशुल्क अधिसूचना के माध्यम से लागू शुल्क को मूल अधिसूचना की अवधि के समाप्त होने अर्थात 17.04.2018 को यह उससे पहले निर्णायक समीक्षा का परिणाम आने तक 1 वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तार/जारी रखने के लिए अधिनियम की धारा 9क(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार समुचित अधिसूचना जारी करे।*

**निर्णायक समीक्षा की शुरुआत**

8. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त बताये गए आदेशों के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी एतदद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं।

9. तथापि वर्तमान निर्णायक समीक्षा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल आवेदन सं. 2018 की 5798 और 2018 की 5808 में और सिविल आवेदन सं 14203, 14205 and 14207 of 2017 में परिणाम के अधीन होगी।

**विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

10. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद तुर्की और रूस के मूल का अथवा वहां से निर्यातित डाइसोडियम कार्बोनेट है जिसे आम तौर पर सोडा एश के रूप में जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र एनए2सीओ3 है। भारतीय उत्पादकों द्वारा सोडा एश दो रूपों – लाइट सोडा एश और डेंस सोडा एश में उत्पादित किया जाता है। दो किस्मों में अंतर बल्क घनत्व का है। इसके अलावा, सोडा एश को सिंथेटिक पद्धति और प्राकृति पद्धति जिसे विलायन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, से उत्पादित किया जा सकता है। वर्तमान याचिका में सोडा एश के सभी प्रकार शमिल हैं।

11. सोडा एश डिटरजंट, साबुनों, क्लीनिंग कंपाउड, सोडियम आधारित रसायनों, फ्लोट ग्लास,कंटेनर और विशेष ग्लासों, सिलिकेट और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में अनिवार्य अवयव है। इसका प्रयोग वस्त्र, कागज, धातु निष्कर्षण उद्योगों और डिसेलीनेशन संयंत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है।

12. सोडा एश एक अकार्बनिक रसायन है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 2836.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जॉंच पर बाध्यकारी नहीं है।

13. वर्तमान जांच, लागू शुल्क की निर्णायक समीक्षा होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में परिभाषित के अनुसार ही बना रहेगा।

14. आवेदकों ने अनुरोध किया है उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु की अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद

विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से के समान वस्तु हैं। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।

**घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

15. निर्णायक समीक्षा हेतु अनुरोध मै. निरमा लि. और मै. डीसीडब्लू द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी से देखा जाता है कि आवेदकों का उत्पादन भारत में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदकों ने बताया है कि वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा किया गया माना गया है और आवेदक भागीदार कंपनियों को क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ नियमावली के के नियम 2(ख) के अधीन घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है।

**शामिल देश**

16. पाटनरोधी शुल्क तुर्की और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर विशेष सिविल आवेदन संख्या 14203, 14205 और 14207 में माननीय उच्च न्यायालय के गुजरात के दिनांक 31.07.2017 के आदेश के आधार पर लागू है। **निर्णायक** समीक्षा के लिए अनुरोध इन देशों से आयात के संबंध में है

**प्रक्रिया**

17. इस समीक्षा में 9 फरवरी, 2013 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/3/2011-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं जिसमें तुर्की और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

18. संबंधित नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

**जांच अवधि (पीओआई)**

19. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि अप्रैल 2016 – सितम्बर 2017 है। क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2013- 2014, 2015-2015, 2015-2016 और जांच की अवधि शामिल होगी। संभावना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के बाद की अवधिपर भी विचार किया जा सकता है।

**सूचना प्रस्तुत करना**

20. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:—

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग ,**
**5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी संबंधित नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

**अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

23. प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय अंश की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय अंश की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध के किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है/ ऐसी सूचना का सारांशीकृत क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

29. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2018

**Case No. SSR- 03/2018**

**Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of Soda Ash from Turkey and Russia**

**F. No. 7/4/2018-DGAD.—**Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of "Soda Ash", (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Turkey and Russia (hereinafter referred to as subject countries). The Authority vide its final findings No.14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013 recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the subject countries. Duties were imposed by the Central Government vide custom notification No. 08/2013 – Customs (ADD) dated 18th April 2013.

2. And whereas, the Authority conducted a midterm review investigation under Rule 23 and the Authority vide final findings dated the 22nd July, 2017 revoked the anti-dumping dumping duties levied on subject goods from subject countries.

3. And whereas final findings dated the 22nd July, 2017 was challenged before the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications No.14203,14205 and 14207 of 2017 and the High Court vide its order dated the 31st July, 2017 restrained Union of India from acting upon the MTR final findings order dated 22.7.2017.

4. And whereas the Central Government vide Notification No. 51 /2017-Customs (ADD) dated 18$^{th}$ October, 2017 rescinded customs notification No. 08/2013 – Customs (ADD) dated 18th April 2013, and stated that such recession shall remain in abeyance subject to the final order of the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications Nos. 14203, 14205 and 14207 of 2017.

5. And whereas, a petition was jointly filed by M/s Nirma Ltd and M/s DCW Ltd (hereinafter referred to as 'petitioners') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of "Soda Ash" for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from Turkey and Russia.

6. And whereas, based on examination of the petition filed by the Domestic Industry, Authority came to the conclusion that there was no need to initiate the Sunset Review concerning imports of Soda Ash originating in or exported from Turkey and Russia and accordingly, speaking order dated 5$^{th}$ April 2018 was issued intimating the decision of the Authority on Sunset Review petition.

7. And whereas against the said speaking order, the Domestic Industry filed Special Civil Applications No. 5798 of 2018 and 5808 of 2018 before the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad. The extracts of directions dated 12.04.2018 from Hon'ble High Court are reproduced as under

> *" Pending admission and final hearing of this Petition, this Hon'ble Court be pleased to direct the Respondent No.2 to initiate Sunset Review investigation under the provisions of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules on or before 16.04.2018 and further direct the Respondent No.1 to issue an appropriate notification in terms of 2$^{nd}$ proviso to Section 9A(5) of the Act for extension/continuation of the Duty imposed by way of Customs Notification dated 18.04.2013 for a period not exceeding 1 year pending the outcome of Sunset Review before the expiry of the period of original notification, that is, on or before 17.04.2018."*

8. Pursuant to the above stated orders of the Hon'ble High Court of Gujarat, the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance with section 9A (5) of the Custom Tariff Amendment) Act read with Rule 23 of Antidumping Rules.

9. The present sunset review is, however, subject to the outcome in the Special Civil Applications No. 5798 of 2018 and 5808 of 2018 and that in the Special Civil Applications before the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications Nos. 14203, 14205 and 14207 of 2017.

**Product under consideration and like article**

10. The product under consideration in the present petition is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash with chemical formula Na2C03 originating in or exported from Turkey and Russia. Soda Ash is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further,

Soda Ash can be produced through synthetic route and natural route, known as dissolution process. The present investigation covers all types of Soda Ash.

11. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.

12. Soda Ash is an inorganic chemical. It is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, falling under the customs sub-heading No. 2836.20. The customs classification is, however, indicative and not binding on the scope of the present investigation.

13. In the present investigation, being a sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation.

14. Applicants have submitted that the subject goods produced by them are like article to the goods imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably

**Domestic Industry & Standing**

15. The request for the sunset review has been filed by M/s Nirma Ltd and M/s DCW Ltd. It is seen from the information on record that the production by the applicants account for a major proportion in the production of the subject goods by the domestic industry in India. Further, the applicants have submitted that they are not related to a producer/exporter of the product under consideration in subject countries or an importer in India. The application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry and the applicant participating companies have been treated as the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules for the purpose of injury investigation.

**Countries Involved**

16. Antidumping duties are in force on imports of the product under consideration originating in or exported from Turkey and Russia by virtue of the order dated 31.07.2017 of Hon'ble High Court of Guajrat in Special Civil Application Nos. 14203, 14205 and 14207 of 2017. The request for sunset review is in respect of import from these countries.

**Procedure**

17. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No.14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013 recommending imposition of anti-dumping duty on import of Soda Ash originating in or exported from Turkey and Russia.

18. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**Period of Investigation (POI)**

19. The period of investigation for the purpose of the present investigations is April 2016- September 2017. The injury investigation period shall cover the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation. The period after the investigation period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

**Submission of information**

20. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,**

**Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,**

**Ministry of Commerce & Industry,**

**Department of Commerce**

**4th Floor, Jeevan Tara Building,**

**5, Parliament Street, New Delhi -110001.**

21. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete,

the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of Information on Non-Confidential basis**

23. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

24. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

25. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

29. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.18 18:10:46 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.